



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1 खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 7 मार्च, 1989

फाल्गुन 16, 1910 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 458/सत्रहवि-1-1 (क-4-1989)

लखनऊ, 7 मार्च, 1989

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विध (संशोधन) विधेयक, 1989 पर दिनांक 5 मार्च, 1989 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1989 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1989]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 और उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

## अधिनियम

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम  
और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायगा।

(2) यह 28 दिसम्बर, 1988 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश  
अधिनियम संख्या  
13 सन् 1977  
की धारा 2 का  
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, जहाँ कहीं भी शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1988" आये हों, उनके स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1989" रख दिये जायेंगे।

धारा 3 का  
संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1988" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1989" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधि-  
नियम संख्या 35  
सन् 1978 की  
धारा 24 का  
संशोधन  
निरसन और  
अपवाद

4—उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 24 में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1988" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1989" रख दिये जायेंगे।

5—(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1988 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित धारा 2 और 4 में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश  
अध्यादेश  
संख्या 17  
सन् 1988

आज्ञा से,  
नारायण दास,  
सचिव।

No. 458 (2) /XVII-V-1-1. (KA), 4-1989

Dated Lucknow, March 7, 1989

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Swayatta Shasan Vidhi (Sanshodan) Adhiniyam, 1989 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 1989) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 7, 1989.

**THE UTTAR PRADESH URBAN LOCAL SELF-GOVERNMENT LAWS  
(AMENDMENT) ACT, 1989**

[U. P. ACT No. 1 of 1989]

(As passed by the U. P. Legislature)

AN  
ACT

Further to amend the Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1977 and the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Third Amendment) Act, 1978

It is HEREBY enacted in the Fortieth Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Amendment) Act, 1989.

Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on December 28, 1988.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1977, hereinafter referred to as the principal Act, for the word and figures "December 31, 1988" wherever occurring, the word and figures "June 30, 1989" shall be substituted.

Amendment of section 2 of U.P. Act No. 13 of 1977

3. In section 3 of the principal Act, for the word and figures "December 31, 1988" the word and figures "June 30, 1989" shall be substituted.

Amendment section 3

4. In section 24 of the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Third Amendment) Act, 1978, for the word and figures "December 31, 1988" the word and figures "June 30, 1989" shall be substituted.

Amendment of section 24 of U.P. Act No. 35 1978

U.P. Ordinance No. 17 of 1988.

5. (1) The Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Second Amendment) Ordinance, 1988, is hereby repealed.

-Repeal and saving

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Acts referred to in sections 2 and 4 as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the said Acts, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,  
NARAYAN DAS,  
Sachiv.